कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 2017/322/आ.उ.शि./शा–2/17, भोपाल,दिनांक 30/08/2017

प्रति,

समस्त अतिरिक्त सचालक,
क्षेत्रीय कार्यालय,उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश।

विषयः–अतिथि विद्वानों के आमंत्रण प्रकिया 17–18 बाबत्।

0000

कृपया अतिथि विद्वानों के आमंत्रण नीति 17–18 बाबत् निम्न आवश्यक निर्देश पर ध्यान देकर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें –

1. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पूर्व सत्र 16–17 में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न खण्डपीठों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में अंतरिम आदेश देकर कतिपय अतिथि विद्वानों को शासन द्वारा नियमित भर्ती पूर्ण होने तक लगातार रखे जाने के निर्देश पारित किए गए है। न्यायहित एवं शासन हित संरक्षण के लिए ऐसे समस्त प्रकरणों को एक ही स्थान अर्थात मुख्य पीठ पर संयोजित करने बाबत् आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है अतः आज ही इन प्रकरणों की जानकारी, (प्रकरण कमांक, पक्षकारों के नाम आदि) अतिरिक्त संचालक, जबलपुर को इमेल के माध्यम से भेजी जाना सुनिशिचित करें ताकि अग्रेत्तर कार्यकाही की जा सके।

2. अतिथि विद्वानों के जिन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश देते हुए प्रकरण का निराकरण (Despose off) कर दिया गया है कि 'अतिथि विद्वानों को शासन द्वारा नियमित भर्ती पूर्ण होने तक लगातार रखा जाए'। ऐसे प्रकरणों में निम्न आधारों पर तत्काल पुर्नविलोकन याचिका (Review Petition) दाखिल करने की कार्यवाही संपादित की जाएः–

   1. सत्र 17–18 के लिए अतिथि विद्वानों का आमंत्रण गत वर्ष के निर्देशों के अनुरूप करने बाबत् निर्देश जारी किये गये थे किन्तु इन निर्देशों को याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह प्रस्तुत करना प्रतीत होता है कि गत वर्ष के अतिथि विद्वानों को यथावत रखे जाने के निर्देश दिये गये है जबकि ऐसा नहीं है मात्र अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रकिया ही गत वर्ष की तरह यथावत रखी गई है।
   2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में दिये गये अंतरिम/अंतिम आदेश में उल्लेखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी कमांक 12946–12950/17 में दिनांक 28.04.17 को दिया गया "यथास्थिति" आदेश जनभागीदारी समिति द्वारा स्व–वित्तीय पाठ्यकमों के लिए आमंत्रित किये गये कतिपय अतिथि विद्वानों के मामले पर लागू है न कि शासन द्वारा जारी अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रकिया वर्ष 16–17/17–18 के लिए। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि स्व–वित्तीय पाठ्यकमों का संचालन पूरी तरह से छात्रों द्वारा ऐसे पाठ्यकमों में प्रवेश मांग पर आधारित है एवं ऐसे पाठ्यकमों के संचालन का व्यय भी प्रवेशित छात्रों द्वारा ही वहन किया जाता है। जिस वर्ष में समुचित छात्र किसी स्व–वित्तीय पाठ्यकम की मांग नहीं करते उस वर्ष में ऐसे स्व–वित्तीय पाठ्यकम संबंधित महाविद्यालय द्वारा संचालित नहीं किये जाते है और वहां की जनभागीदारी समिति द्वारा अतिथि विद्वानों को आमंत्रित भी नहीं किया जाता है। जनभागीदारी समिति किसी एक महाविद्यालय विशेष के लिए ही होती है, तथा इस समिति द्वारा अतिथि विद्वान का आमंत्रण भी उस महाविद्यालय विशेष के

लिए ही होता है, किसी प्रकार का "फालेन ऑउट" नहीं होता। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह 'यथास्थिति' का आदेश शासन की अतिथि विद्वान आमंत्रण नीति के संबंध में नहीं है, न ही इस नीति पर लागू होता है।

3. अतिथि विद्वानों का प्रतिवर्ष आमंत्रण किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि यह संभव है कि आमंत्रण के वर्ष में बेहतर योग्यताधारी कुछ ऐसे आवेदक जिन्होनें गत वर्ष के आमंत्रण पश्चात पीएच.डी./नेट/सेट उत्तीर्ण की हो, इस सत्र में भी उपलब्ध हो और उनका चयन अध्यापन गुणवत्ता एवं छात्रहित में उचित हो।
4. गत वर्ष के आमंत्रण के पश्चात इस वर्ष 17–18 में सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक के व्यापक स्थानांतरण हुए है जिसके कारण प्रदेश के कई महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित सहायक प्राध्यापकों की पूर्ति हुई है तथा कई नये स्थानों पर सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक के पद विषयवार रिक्त हुए है। इस कारण से इस वर्ष के आमंत्रण में अतिथि विद्वानों के लिए कुछ पुराने स्थान उपलब्ध नहीं होंगे, स्थानांतरण फलस्वरूप कुछ नये स्थानों पर पद रिक्ती हुई है, वहां की अध्यापन व्यवस्था के लिए भी अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाना है। ऐसे मामलों में स्थगन के कारण शैक्षणिक व्यवस्था व्यापकरूप से प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। अतः ऐसी स्थिति का आकलन कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिव्यू पिटिशन में इस बिन्दु को भी रखा जाए।
5. अतिथि विद्वानों के आमंत्रण की प्रकिया में पूर्व में कार्यरत किसी भी अतिथि विद्वान को आमंत्रण की प्रकिया से बाहर नहीं किया गया है, विगत वर्ष में कार्यरत हर अतिथि विद्वान आवेदन कर सकता है तथा मेरिट के आधार पर चयनित हो सकता है, पूर्व में कार्यरत अतिथि विद्वानों को उनके अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंकों का अधिभार भी दिया जाता है। अतः किसी भी आवेदक के साथ चयन प्रकिया में अन्याय नहीं होता। संपूर्ण प्रकिया पारदर्शी है।
6. अन्य कोई बिन्दु जिसे आप एवं शासकीय अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखना उचित समझते हो पुर्नविलोकन आवेदन में उल्लेखित कर सकते है।

उपरोक्त बिन्दु 1 से 6 तक के आधारों का उपयोग पैरा एक में उल्लेखानुसार एकजाई किए गए प्रकरणों के संदर्भ में भी किया जा सकता है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक,प्रशासन
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2018/322/आ.उ.शि./शा–2/17, भोपाल,दिनांक 30/08/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक अपर मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा,भोपाल
2. निज सहायक आयुक्त उच्च शिक्षा,भोपाल ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी न्याया.प्रकोष्ठ,उच्च शिक्षा,भोपाल ।

अपर संचालक,प्रशासन
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश